सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 वृहस्पतिवार, दिनांक- 02 दिसम्बर, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.37 बजे पूर्वाह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही राजद को छोड़ कर विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से कहा गया कि नियमानुसार एवं सही समय पर अपने विषय को उठाएगें तो आसन द्वारा संज्ञान लिया जाएगा । साथ ही माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर वापस जाने का अनुरोध किया गया ।

वेल में आए हुए माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए ।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 06 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 146 तारांकित प्रश्न अनागत ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-12 के निस्तारण के बाद माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री जिवेश कुमार द्वारा आसन को सूचित किया गया कि जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की गाड़ी विधान सभा परिसर के गेट से आ रही थी और उसके कारण मेरी गाड़ी को रोक दिया गया जिसके फलस्वरूप मैं सदन में पांच मिनट विलम्ब से पहुंचा हूँ । मुझे पहले लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं था वहां जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की गाड़ी आ रही थी । साथ ही आसन से अनुरोध किया गया कि दोषी पदाधिकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाए ।

माननीय मंत्री के आरोप पर सदन के सभी माननीय सदस्यगण एक स्वर से कार्रवाई की मांग करने लगे ।

आसन द्वारा कहा गया कि माननीय मंत्री की भावना से हम सब गंभीर हैं । सदन में आप सभी के भाव प्रकट हो रहे हैं और सबकी भावना को मैं समझ रहा हूँ, अच्छा नियमन जाएगा । आप लोगों की बात को तो हम सबसे पहले प्राथमिकता में लेते हैं । विधायकों की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा हमारी पहली प्राथमिकता है ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी ही आहत भावना से आज उनके साथ सदन परिसर में जो बातें हुई है उसका जिक्र किया है । जो बातें उन्होंने बतायी है वास्तव में एक गंभीर मसला है । सरकार का स्पष्ट निदेश है कि किसी माननीय सदस्य की भावना आहत हो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है जिसे कई अवसरों पर बार-बार दोहराया भी गया है । गेट पर जो जाँच होती है उसमें भी माननीय सदस्यों के साथ बा-अदब के साथ ही कोई बात भी पूछी जाय । उनका जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके बारे में जाँच या कोई जानकारी ली जाय । जब सरकार की मंशा किसी विधायक की भावना को भी आहत करने की नहीं होती है तो मंत्री तो सरकार के ही अंग होते हैं । यह आपके परिसीमा की बात है और माननीय मंत्री ने आपका संरक्षण मांगा है । हम सरकार की तरफ से आसन और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लिजीए, सरकार भी दिखवाएगी और जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

आसन द्वारा पुनः कहा गया कि किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान है और सदन का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है । आप सब के सहयोग से सदन की इतनी गरिमा है कि किसी की बिसात नही है कि वह सदन के सामने खड़ा हो सके । आज हम दलीय नेताओं को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बुलाये हैं वह समिति जाँच करके जिसको अनुशंसित करेगी उसपर कार्रवाई करेंगे ।

किन्तु माननीय सदस्यगण तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए शोरगुल करने लगे ।

आसन द्वारा बार-बार माननीय सदस्यों से शांति बनाये रखने का आग्रह किया गया किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 11.45 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोंपरांत

(समय : 11.45 बजे पूर्वाह्न से 12.50 बजे अपराह्न तक ।)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही आसन द्वारा कहा गया कि अभी हमलोग बैठे थे और 1.15 बजे अपराह्न में पुनः बैठेंगे । सरकार ने आश्वास्त किया है कि ऐसे लोगों को तलब करके कार्रवाई की जाएगी ।

इस विषय पर कार्रवाई करने के लिए माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री विजय शंकर दूबे, श्री महबूब आलम एवं श्री अजय कुमार ने अपने-अपने विचार रखें ।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

(i) माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खंड-I एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" । इस पर सदन की सहमति हुई ।

(iii) माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, खण्ड-I एवं II की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार लोकायुक्त का वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(v) माननीय प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(vi) माननीय मंत्री, विधि विभाग, श्री प्रमोद कुमार द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(vii) माननीय प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2011-2012 का 55वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(viii) माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 दिनों तक सदन पटल पर रखा रहेगा ।

(ix) माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति श्री दामोदर रावत द्वारा समिति का 306वां, 307वां एवं 309वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[3] <u>शून्यकाल</u> :-

(i)	श्री महा नंद सिंह	(ii)	श्रीमती शालिनी मिश्रा
(iii)	श्री मो० कामरान	(iv)	श्री समीर कुमार महासेठ
(v)	श्रीमती संगीता कुमारी	(vi)	श्री मिथिलेश कुमार
(vii)	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	(viii)	श्री राम सिंह
(ix)	श्री कुंदन कुमार	(x)	श्रीमती विभा देवी
(xi)	श्री श्रीकांत यादव	(xii)	श्री ललन कुमार
(xiii)	श्री अजय कुमार	(xiv)	श्री भीम कुमार सिंह
(xv)	श्री रामबली सिंह यादव	(xvi)	श्री अरूण सिंह
(xvii)	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	(xviii)	श्री ऋषि कुमार
(xix)	श्री मो० अनजार नईमी	(xx)	श्री शाहनवाज
(xxi)	श्री मो० इजहार अस्फी	(xxii)	श्री सूर्यकान्त पासवान
(xxiii)	श्री विजय कुमार	(xxiv)	श्री मुकेश कुमार रौशन
(xxv)	श्री राम विशुन सिंह	(xxvi)	श्री राकेश कुमार रौशन
(xxvii)	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	(xxviii)	श्री राम रतन सिंह
(xxix)	श्री छत्रपति यादव	(xxx)	श्री मनोज मंजिल
(xxxi)	श्री अमरजीत कुशवाहा	(xxxii)	श्री सत्यदेव राम

आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री मो० कामरान एवं श्री अरूण सिंह को उनके संक्षिप्त शून्यकाल सूचना के लिए धन्यवाद दिया गया ।

[4] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ** :-

(i) माननीय सदस्य श्री अजय कुमार एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अजय कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, कृषि विभाग श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान एवं अन्य सभासदों का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय लिया गया ।

सदन की सहमति से आसन द्वारा आज के लिए सूचीबद्ध शेष 42 शून्यकाल की सूचनाओं को शून्यकाल समिति के सुपुर्द किया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.16 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] **वित्तीय कार्य** :-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग (शिक्षा विभाग) पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री कुमार शैलेन्द्र

(ii) श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया ।)

(iii) श्री ललित नारायण मंडल

(iv) श्री भूदेव चौधरी

(v) श्रीमती प्रतिमा कुमारी

(vi) श्री कुमार सर्वजीत

(vii) श्री मिथिलेश कुमार

(viii) श्री राकेश कुमार रौशन

(ix) श्री राज कुमार सिंह

(x) श्रीमती मंजु अग्रवाल

(xi) श्री अखतरूल ईमान

(xii) श्री सत्यदेव राम

(xiii) श्री अजय कुमार

(xiv) श्री सुर्यकान्त पासवान

(xv) श्री अजय कुमार सिंह

(xvi) श्री बच्चा पाण्डेय

(xvii) श्री अनिल कुमार

(xviii) श्री संतोष कुमार मिश्र

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया ।)

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गये कार्यों से विस्तारपूर्वक सदन को अवगत कराया गया ।

सरकार के उत्तर के दौरान उससे असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिगर्मन कर गए।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् अनुदान की शेष मांगें बारी-बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ ।

[6] **विधायी कार्य :-**

राजकीय वित्तीय विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[7] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 113 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-03 दिसम्बर, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-02.12.2021

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।